वकील वादी मु० / आमिष वादी के
पास पत्रावली दिनांक 8/1/20 को

8/1/20

वकील वादी मु० / वकील वादी को साक्ष्यवादी
समय पास पत्रावली दिनांक 4/2/20 को
पेश हो।

4/2/20

वकील वादी मु० / पत्रावली साक्ष्य वादी के लिए
दिनांक 3/8/15 से विद्यमान होने से ही साक्ष्य वादी
हेतु पत्र लेखन प्रसारित किये जा चुके है। न्याय
हित में दिनांक लेखन प्रसारित करने के उपरांत भी
वादी में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इसके प्रतीत
होता है कि वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए
इच्छुक नहीं है। पत्रावली में व्यवधान को निमित्त
समय बर्बाद किया जा रहा है। वादीगण के
साक्ष्य के लेखन पत्र किया जाता है। पत्रावली
का लेखांकन किया जो यामा कि अग्रिम कार्यवाही की
दिनांक 3/8/15 को एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।
वाद पत्र सभी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.03.19 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested